## न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 106/18

संस्थित दिनाँक-2003.18

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—मालनपुर जिला—भिण्ड (म0प्र0)

....अभियोर्ग

विरुद

- 1. शिवराज पुत्र चंदनसिंह गुर्जर उम्र 35 साल
- पप्पू उर्फ रामनरेश पुत्र चंदनसिंह गुर्जर उम्र 43 साल निवासी ग्राम घिरोंगी थाना मालनपुर

जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

## <u>—ः निर्णय ः—</u> {आज दिनांक 27.03.2018 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा—452 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22.11.17 को 12 बजे फरियादी की बैठक ग्राम धिरोंगी तहसील गोहद में उपहित कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर ग्रह अतिचार कारित किया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्तगण को भादिवि० की धारा 325, 323 सहपिटत धारा 34 एवं 294, 506 बी का उपशमन किया गया है। इस निर्णय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 452 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 22.11.17 को फरियादी हरेन्द्र ने मुरार अस्पताल जिला ग्वालियर में सूचना दी कि उक्त दिन वह अपने घर जा रहा था और रास्ते में खडी गाय को हांक कर हटा दिया और अपने घर चला गया। इसी बात पर जब 12 बजे जब वह अपनी बैठक में बैठा था तभी उसके गांव के अभियुक्तगण आए और बोले कि उनकी गाय को क्यों मारा तो फरियादी ने कहाकि उसने गाय को रास्ते से हटा दिया मारा नहीं था, तो अभियुक्तगण गाली देने लगे, मना करने पर शिवराज ने लाठी मारी जो बाए हाथ में लगी, पप्पू ने लाठी मारी जो बाए हाथ की कोहनी के नीचे लगी। एक और लाठी पप्पू ने बांए पैर की पिण्डली में मारी। चिल्लाया तो चरनसिंह और रामवीर आ गए जिन्होंने घटना देखी और बीच बचाव किया। जाते समय अभियुक्तगण

जान से मारने की धमकी देकर चले गए। फरियादी पहले गोहद अस्पताल गया, ज्यादा चोट होने से ग्वालियर रैफर कर दिया। उक्त आशय की सूचना से देहाती नालिसी लेख की गयी, तत्पश्चात् अप०क०–206/17 पंजीबद्ध किया गया। आहत व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए। नक्शामौका बनाया गया। अभियुक्त के अस्थिमंग होने के आधार पर भादिव की धारा 325 का इजाफा हुआ। अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक, जब्दी कर जब्दी पत्रक बनाया गया, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य न होने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –
  1.क्या अभियुक्तगण ने दि0 22.11.17 को 12 बजे फरियादी की बैठक ग्राम घिरोंगी तहसील गोहद में उपहित कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर ग्रह अतिचार कारित किया ?

## <u>-:: सकारण निष्कर्ष ::-</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में हरेन्द्र अ०सा० 1 व चरनसिंह अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 7. फरियादी हरेन्द्र अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना चार माह पहले की दोपहर 12—1 बजे की है। उसका आरोपीगण से गाय भगाने पर से विवाद हो गया था जिस पर से आरोपीगण ने उसकी मारपीट कर दी थी। जिसके संबंध में उसने प्र०पी० 1 की रिपोर्ट की थी, जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करता है। मुख्य परीक्षण में साक्षी उसके निवास अथवा संपत्ति की अभिरक्षा में प्रयुक्त स्थान में अपराध की तैयारी उपरांत प्रवेश किए जाने के संबंध में अर्थात ग्रह अतिचार के संबंध में कोई कथन नहीं करता है। अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया कि अभियुक्तगण ने रास्ते में खडी गाय को हांक देने की बात पर से जब वह बैठक में बैटा था तो मां बहन की गंदी गंदी मालियां दी। इस तथ्य से भी इंकार करता हैं कि गाली देने से मना करने पर अभियुक्त शिवराज ने उसके बांए हाथ में लाठी मारी तथा अभियुक्त पप्पू ने उसके बांए हाथ की कोहनी और बांए पैर की पिण्डली में लाठी मारी, इस तथ्य से भी इंकार करता है कि अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी। साक्षी यह कथन करता है कि अभियुक्तगण से उसका मुंहवाद व लडाई गली में हुई थी, घर के अंदर नहीं। साक्षी का उक्त कथन अभियोजन द्वारा खण्डत न किए जाने से उनके विरुद्ध बाध्यकारी है।

साक्षी ने पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0 1 के विनिर्दिष्ट बी से बी तथा पुलिस कथन प्र0पी0 2 के ए से ए भाग पर विनिर्दिष्ट तथ्य लिखाए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है।

- प्रकरण में जहां एक ओर फरियादी ने अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया वहां अभियोजन का यह तर्क है कि फरियादी द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिए जाने के कारण मामले का समर्थन नहीं किया है। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि फरियादी का कथन न्यायालय में शपथपूर्वक हुआ है जिसमें साक्षी द्वारा झगडा गली में होने का कथन किया है जो कि अखण्डनीय है। इसके अतिरिक्त कथित घटना का चक्षुदर्शी साक्षी चरनसिंह अ०सा० 2 भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता और उसके सामने कोई भी घटना घटित न होने का कथन करता है। प्रकरण में इस प्रकार से अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोप के संबंध में सारवान साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। जहां तक प्र0पी0 1 की देहाती नालिसी एवं प्र0पी0 2 व 3 के पुलिस कथनों का प्रश्न हैं, तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, अर्थात वे कथनकर्ता के अभिसाक्ष्य में विरोधाभास या लोप के संबंध में सुसंगत हो सकते हैं। प्र0पी0 1 की देहाती नालिसी के संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि घटना दिनांक 22.11.17 के दिन के 12 बजे की बताई गयी है, जबिक प्राथमिकी रात्रि 11 बजे के लगभग लेख की गयी है। घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र ढाई कि0मी0 लेख है फिर भी प्राथमिकी किए जाने में विलंब हुआ है। इसके अतिरिक्त देहाती नालिसी प्र0पी0 1 भी यदि विचार में ली जाए तो वह भी करीब 9 घण्टे के पश्चात् लेख की गयी है। अभियोगपत्र संलग्न दस्तावेजों में फरियादी का चिकित्सीय परीक्षा रिपोर्ट भी ध्यान देने योग्य है, जो कि कथित प्र0पी0 1 की देहाती नालिसी के पूर्व ही दिनांक 22.11.17 को दोपहर 1:30 बजे कराए जाने का उल्लेख है। किन्तु साथ ही उस पर चिकित्सीय परीक्षण हेतु भिजवाने वाले पुलिस अधिकारी के स्थान पर विवेचक शिववीरसिंह जादौन के हस्ताक्षर होना दर्शित हैं। ऐसे में बिना प्राथमिकी अथवा देहाती नालिसी के एम0एल0सी0 कराई गयी तथा यदि पुलिस अधिकारी एम0एल0सी0 के लिए प्रारूप भरकर भेज सकता है तो वह घटना के संबंध में देहाती नालिसी भी लिख सकता था। ऐसे में अभियोजन का तर्क महत्वहीन पाया जाता है।
- 9. संहिता की 452 के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए आवश्यक है कि मानव निवास अथवा संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्रयुक्त स्थान में अपराध—उपहित कारित किए जाने के आशय से तैयारी पश्चात् प्रवेश किए जाने संबंधी अभिलेख पर सारवान साक्ष्य होना आवश्यक है। प्रकरण में अभियोजन की प्रस्तुत साक्ष्य उक्त तथ्यों को प्रमाणित किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं बिल्क उसके विपरीत घटनास्थल घर के बाहर तथा मुंहवाद एवं लड़ाई के संबंध में तथ्य है। ऐसे में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

- 10. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। ''सत्य हो सकता है'' और ''सत्य होना चाहिए'' के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 22.11.17 को 12 बजे फरियादी की बैठक ग्राम घिरोंगी तहसील गोहद में उपहित कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर ग्रह अतिचार कारित किया। अतः अभियुक्तगण को सहिता की धारा 452 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11. अभियुक्तगण निरोध में हैं। अतः उनके जेल वारंट पर नोट लगाया जावे कि यदि अभियुक्तगण की अन्य अपराध में अवश्यकता न हो तो उन्हें अविलंब छोडा जावे।
- 12. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 13. अभियुक्तगण का निरोध अवधि प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थम श्रेणी मध्यप्रदेश